

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-5-2021-एम एण्ड जी, दिनांक 05 नवम्बर, 2021 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, होशंगाबाद जिले के नगर “होशंगाबाद” का नाम परिवर्तित कर “नर्मदापुरम” करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 07 फरवरी 2022

क्र. एफ. 11-1-2021-सात-शा.7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-1-2021-सात-शा.7, दिनांक 07 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February, 2022

No. F. 11-1-2021-VII-Sec.7.—In pursuance of no objection conveyed by Government of India, Ministry of Home Affairs vide their Letter No. 11-5-2021-M&G, dated the 05th November, 2021 the State government, hereby, change the name of town of “HOSHANGABAD” District Hoshangabad as “NARMADAPURAM” with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

139